

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाइ द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :-110/2007

निर्णय दिनांक:-31.05.18

## उनवान

रामकिशोर चेला धन्नादास जाति दादूपंथी निवासी वार्ड नं. 1 जमात निवाइ तहसील निवाइ  
- वादी

## बनाम

1. रामदास चेला धन्नादास निवासी वार्ड नं. 1 जमात निवाइ तहसील निवाइ
2. कनीराम दास चेला धन्नादास निवासी वार्ड नं. 1 जमात निवाइ तहसील निवाइ
3. तहसीलदार निवाइ

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा आराजीयात  
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

## निर्णय

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 क0निवाइ में पेश हुयी। उभयपक्षकारान उपस्थित। पी.डी. रिपोर्ट प्राप्त। उभयपक्ष पी.डी. रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः मुताबिक पी.डी. रिपोर्ट वादी का वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाइ से प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. रामकिशोर चेला धन्नादास कोम दादूपंथी सा.देह खातेदार

| ग्राम का नाम | ख0न0      | रकबा (बीघा में) |
|--------------|-----------|-----------------|
| क0निवाइ      | 1073/1    | 02-01           |
| क0निवाइ      | 1086/1    | 0-15            |
| क0निवाइ      | 1101/1    | 0-10            |
| कुल किता-03  | कुल रकबा- | 03-06           |

2. कनीराम चेला धन्नादास कोम दादूपंथी सा.देह खातेदार

| ग्राम का नाम | ख0न0      | रकबा  |
|--------------|-----------|-------|
| क0निवाइ      | 1073/2    | 02-00 |
| कुल किता-01  | कुल रकबा- | 02-00 |

3. राजेश कुमार पुत्र चौधरीमल सिंधी सा. देह खातेदार

| ग्राम का नाम | ख0न0      | रकबा (बीघा में) |
|--------------|-----------|-----------------|
| क0निवाइ      | 1073/3    | 02-00           |
| क0निवाइ      | 1086/2    | 1-11            |
| क0निवाइ      | 1101/2    | 1-00            |
| कुल किता-03  | कुल रकबा- | 04-11           |

उपखण्ड अधिकारी  
न्यायालय, जिला टोंक

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है।  
पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.05.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया  
गया।

31 31/5/18  
हरिताम कुमार आदित्य  
(आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी निवाई  
केस नॉर निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक  
(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)  
(हरिताम कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई )  
उनवान

रामकिशोर बनाम रामदास  
दावा बाबत तकासमा आराजीयात  
एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
मुकदमा नम्बर :- 110/2007

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 क०निवाई में पेश हुयी। उभयपक्षकारान उपस्थित। पी.डी. रिपोर्ट प्राप्त। उभयपक्ष पी.डी. रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः मुताबिक पी.डी. रिपोर्ट वादी का वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त पी०डी० रिपोर्ट अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. रामकिशोर चेला धन्नादास कोम दादूपंथी सा.देह खातेदार

| ग्राम का नाम | ख०न०      | रकबा (बीघा में) |
|--------------|-----------|-----------------|
| क०निवाई      | 1073/1    | 02-01           |
| क०निवाई      | 1086/1    | 0-15            |
| क०निवाई      | 1101/1    | 0-10            |
| कुल किता-03  | कुल रकबा- | 03-06           |

2. कनीराम चेला धन्नादास कोम दादूपंथी सा.देह खातेदार

| ग्राम का नाम | ख०न०      | रकबा  |
|--------------|-----------|-------|
| क०निवाई      | 1073/2    | 02-00 |
| कुल किता-01  | कुल रकबा- | 02-00 |

3. राजेश कुमार पुत्र चौधरीमल सिंधी सा. देह खातेदार

| ग्राम का नाम | ख०न०      | रकबा (बीघा में) |
|--------------|-----------|-----------------|
| क०निवाई      | 1073/3    | 02-00           |
| क०निवाई      | 1086/2    | 1-11            |
| क०निवाई      | 1101/2    | 1-00            |
| कुल किता-03  | कुल रकबा- | 04-11           |

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

31 31/5/18  
उपखण्ड अधिकारी  
निवाई टोंक  
हरिताम कुमार आदित्य